(2)

वइजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :–69/22
दायरा दिनांक :– 5/07/22
निर्णय दिनांक :– 14.10.2022

उनवान

1. देवेन्द्रसिंह पुत्र रघुवीरसिंह जाति राजपूत निवासीगण फेतहपुर तहसील व जिला बारां
2. पवनसिंह पुत्र रघुवीरसिंह जाति राजपूत निवासीगण फेतहपुर तहसील व जिला बारां
3. भंवरबाई उर्फ पिंकी पुत्री रघुवीरसिंह जाति राजपूत निवासीगण फेतहपुर तहसील बारां
4. सुशीलाबाई बेवा श्रीरघुवीरसिंह जाति राजपूत निवासीगण फेतहपुर तहसील व जिलबारां

बनाम

1. भवंरसिंह पुत्र मोतीसिंह
2. नरेन्द्रसिंह मृतक
2/1 सोनू पत्नि श्री नरेन्द्रसिंह
2/2 खुशी आयु 5 वर्ष (नाबालिगान जर्ये वली माता सोनू)
2/3 कृष्णा आयु 3 वर्ष (बेवा नरेन्द्रसिंह जाति राजपूत)
पिसरान नरेन्द्रसिंह जातियान राजपूत निवासीगण फेतहपुर तहसील व जिला बारां
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां

–अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट

निर्णय दिनांक :– 14.10.2022

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री अफ़लम भारती एड0– वादी
2. श्री महेशचन्द गौतम एड0– प्रतिवादी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 ए0 विरूद्ध अप्रार्थी के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया। ग्रामजिसमें कामयाबी की पूर्ण आशा है। प्रार्थीगण के दादा व अप्रार्थी कम 1 के पिता व अप्रार्थी कम 2 के दादा श्री मोतीसिंह के कब्जे एवं स्वामित्व की आराजी खसर नं0 62 रकबा 22 बीघा 13 बिस्वा वाके माल फतेहपुर तहसील बारां जिला बारां में अवस्थित है जो भूप्रबन्धन विभाग द्वारा नये नम्बर खसरा नं0 123 रकबा 2.95 है0 दर्ज किये है। खातेदार श्री मोतीसिंह की मृत्यु के पश्चात उनके वारिसान के नाम दर्ज हुये ओर सभी वारिसान ने अपनी सहमति से लगभग 15 वर्ष पूर्व बाहमी बंटवारा कर लिया और उक्त आराजी खसरा नं. 123 रकबा 2.95 है0 प्रार्थीगण के पिता व पति व अप्रार्थी कम 2 के दादा श्री रघुवीरसिंह व अप्रार्थी कम 1 भंवरसिंह के हिस्से 1/2, 1/2 आई है और उसी के मुताबिक अपने अपने हिस्से पर काबिज है। लेन्ड रेवेन्यू रिकार्ड के मुताबिक पूराने खसरा नं. 62 रकबा 22 बीघा 13 बिस्वा के मुताबिक भूप्रबन्ध विभाग ने कम रकबा दर्ज किया और इस रकबे को इन्द्राज दुरूस्ती के लिए न्यायालय एस0 डी0

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

साहब के यहां रामबिलास हरिजन, सरकार के विरूद्ध एक दावा प्रस्तुत किया उक्त दावे के साथ उक्त आराजी कीर इन्द्राज दुरूस्ती होकर 0.58 है0 अप्रार्थी कम 1 के खाते दर्ज कर दी जाये है। मौके पर उक्त आराजी 22 बीघा 13 बिस्वा स्थित है इसी आधार पर प्रार्थीगण व अप्रार्थी कम 1 आधे–आधे हिस्से पर काबिज काश्त है ओर रेवेन्यू रिकार्ड 2.95 हे0 में से 1.48 है0 प्रार्थीगण काबिज काश्त है। सहवन से उक्त आराजी इन्द्राज दुरूस्ती के समय अप्रार्थी कम 1 के खाते दर्ज हो गई है जबकि उक्त आराजी में प्रार्थीगण व अप्रार्थी कम 2 का खातेदार श्री रघुवीरसिंह के वारिसान होने के कारण 1/2 हिस्सा दर्ज कराने के अधिकारी हैव अप्रार्थी कम 1 भंवरसिंह द्वारा भी अपने हिस्से की 1.47 है0 में से 1.27 हे0 जमीन का बेचान कर दिया गया है और केवल 0.20 है0 ही अप्रार्थी कम 1 के खाते में शेष बची है लेकिन अप्रार्थी कम 1 राजस्व कर्मचारियों से मिली भगत कर प्रार्थीगण के हक व हिस्से की आराजी खसरा नं. 123 रकबा 0.58 है0 अपने खाते दर्ज करवाली है उक्त आराजी में प्रार्थीगण व अप्रार्थी कम 2 का 1/2 हिस्सा है जिसे प्रार्थीगण अपने खाते दर्ज करवाने के अधिकारी है।

अप्रार्थी कम 1 के मन में बदनियति आ गई है और उक्त आराजी सडक के लगवां होने के कारण अच्छी कीमत पर बिक रही है इस कारण अप्रार्थी कम 1 उक्त आराजी को अपने नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाकर हडपना चाहता है तथा उक्त आराजी को जबरन बेचान करने पर आमादा है उक्त आराजी के 1/2 हिस्से में उसका कोई अधिकार नही है प्रार्थीगण ही एकमात्र मालिक व स्वामी है। सुविधा का संतुलन हर प्रकार से प्राथीगण के पक्ष में है यदि अप्रार्थी कम 2 अपने मकसद में सफल हो गया तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किया जाना किसी भी प्रकार से संभव नहीं है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश हुआ। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम फतेहपुर सम्वत 2072–75 खाता सं. 374 नकल जमाबन्दी ग्रम फतेहपुर सम्वत् 2072–75 खाता सं. 280, नकल जमाबन्दी ग्राम फतेहपुर सम्वत् 2072–75 खाता सं. 90, नकल जमाबन्दी ग्राम फतेहपुर सम्वत् 2072–75 खाता सं. 505, नकल मिलान क्षैत्रफल सम्वत् 2038–57, नकल जमाबन्दी ग्राम फतेहपुर सम्वत् 2068–71 खाता सं. 372, नकलजमाबन्दी ग्राम फतेहपुर सम्वत् 2060–63 खाता सं. 62, नकल जमाबन्दी ग्राम फतेहपुर सम्वत् 2064–67 खाता सं. 358 पेश की गई।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई बहस के दौरान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। विवादित आराजी श्री मोतीसिंह के कब्जे एवं स्वामित्व की थी जो ग्राम फतेहपुर के माल में स्थित है।जो भू प्रबन्ध विभाग द्वारा नये खसरा नं. 123 रकबा 2.95 है0 दर्ज किये है। खातेदार मोतीसिंह के मरने के बाद उनके वारिसान के नाम दर्ज हुए तथा सभी वारिसान द्वारा अपनी सहमति से लगभग 15 वर्ष पूर्व बाहमी बंटवारा कर लिया। उक्त आराजी प्रार्थीगण के पिता व पति व अप्रार्थी कम 2 के दादा श्री रघुवीर सिंह एवं अप्रार्थी कम 1 भवंरसिंह के हिस्से में 1/2, 1/2 आई थी। उसी के मुताबिक अपने अपने हिस्से पर काबिज है। भू प्रबन्ध विभाग द्वारा कम रकबा दर्ज कर दिया। अप्रार्थी कम 1 द्वारा 0.57 है0 भूमि डिक्री से अपने नाम दर्ज करवा ली। अन्य के खाते दर्ज कर दी निर्णय तक यथास्थित बनाये रखे।

बहस के दौरान वकील अप्रार्थी का कथन है प्रार्थीगण के मन में बेईमानी है इस कारण अपने 1/2 हिस्सा सम्पूर्ण भूमि को विक्रय कर देने के पश्चात भूमि को रोड के सहारे होना बताकर झूठे तथ्यों पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया है पूर्व में विचाराधीन था उसका निर्णय हो चुका है प्रार्थी द्वारा पुनः उसी भूमि से सम्बधित एवं उन्हीं पक्षकारों के मध्य दावा पेश किया है जो चलने योग्य नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया प्रमाणित ठोस तथ्यों पर आधारित नहीं है प्रार्थी का

उपखण्ड अधिकारी
बारॉ

Scanned with CamScanner

पत्र चलने योग्य नहीं है। क्योंकि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पूर्व में खारिज हो चुका है पुनः समान ...र व समान भूमि का वाद पत्र व प्रार्थना पत्र पेश नहीं कर सकते है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र ...लने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जावें।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा पूर्व में भी एक वाद पत्र व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था परन्तु प्रार्थी द्वारा पूर्व प्रार्थना पत्र में राजस्व रिकार्ड से सम्बधित कोई दस्तावेज पेश नहीं किया था। बिना दस्तावेज के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया गया। पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि पत्रावली में विवादित भूमि से सम्बधित दस्तावेज पेश नहीं किये गये है दस्तावेज के अभाव में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया पूर्व प्रार्थना पत्र दस्तावेज के अभाव में खारिज हो जाने के कारण प्रार्थी द्वारा पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है पूर्व प्रार्थना पत्र में किसी प्रकार का कोई निर्णय पारित नहीं किया गया है प्रार्थना पत्र अदम हाजरी–अदम पैरवी मे खारिज नही हुआ और न ही प्रकरण मे किसी प्रकार का कोई निर्णय पारित किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दस्तावेज के अभाव मे खारिज किया गया था। इसलिए प्रार्थी द्वारा पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकृत किया जाना न्यायोचित है।

<u>कियात्मक आदेश</u>

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम फतेहपुर तहसील बारां कि ख0न0 123 रकबा न0 0.78 हे0 में से 0.29 हे0 भूमि पर रिकार्ड एवं मौके कि यथास्थिति बनाये रखें।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
बारां
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी बारां

Scanned with CamScanner